

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 73/2019

निर्णय दिनांक — 27.05.2019

1. रामसिंह पिता कालु सिंह राजपूत, आयु 44 साल, निवासी बरवाड़ा।
2. श्याम सिंह पिता कालु सिंह राजपूत, आयु 41 साल, निवासी बरवाड़ा।
3. मिट्टु सिंह पिता कालु सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी बरवाड़ा।
4. मु. कमल कुंवर बेवा कालु सिंह राजपूत, आयु 70 साल, निवासी बरवाड़ा।

— प्रार्थीगण

// बनाम //

1. बालुराम पिता लेहरू भील, निवासी गुडाखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. नाथुलाल पिता लेहरू भील, निवासी गुडाखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. दिनेश पिता मांगु उर्फ मांगीलाल भील, निवासी गुडाखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. देवा पिता मोती भील, निवासी बरवाड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. बाबुरु पिता हुक्मा रावत, निवासी बरवाड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।
6. जगन्नाथ पिता भैरा रावत, निवासी बरवाड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।
7. जयराज पिता भैरा रावत, निवासी बरवाड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।
8. भैरा पिता सवा रावत, निवासी बरवाड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।
9. लक्ष्मण पिता सवा रावत, निवासी बरवाड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा बरवाड़ा की खाता संख्या 128 की आराजी नं. 115 रकबा 2.8600 हेक्टेयर, आराजी नं. 156 रकबा 1.6100 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.4700 हेक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1000/— रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा बरवाड़ा की खाता संख्या 128 की आराजी नं. 115 रकबा 2.8600 हेक्टेयर, आराजी नं. 156 रकबा 1.6100 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.4700 हेक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 27.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

